


दिनांक 15.02.2017 को आहूत जिला टास्क फोर्स/कर-करेत्तर की बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री सतीश पाल, अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, एटा।
2. श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी, एटा।
3. श्री मोहन सिंह, उप जिलाधिकारी, अलीगंज।
4. श्री राजपाल सिंह, उप जिलाधिकारी जलेसर।
5. श्री रनवीर सिंह, तहसीलदार, एटा।
6. श्री विजय कुमार छत्रपति, तहसीलदार, अलीगंज।
7. श्री संजीव ओझा, तहसीलदार, जलेसर।
8. श्री संजय मेहरोत्रा, डि०कमि० वाणिज्य कर, एटा।
9. श्री दिनेश सिंह, ए०आई०जी०, स्टाम्प एटा।
10. श्री विजय सिंह, जिला आबकारी निरीक्षण एटा।
11. श्री राजेश कुमार सिंह, मण्डी निरीक्षक एटा।
12. श्री शैलेन्द्र कुमार, मण्डी सचिव, एटा।
13. श्रीमती कमलेश कुमारी, जिला मनोरंजन कर अधिकारी, एटा।
14. श्री राजीव चतुर्वेदी, अधि०अभि०विद्युत वितरण खण्ड, एटा।
15. श्री संजीव कुमार, ए०आर०एम०, एटा।
16. श्री सोबरन सिंह, कर अधीक्षक नगर पालिका एटा।



उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर-करेत्तर समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में राजस्व प्राप्तियों एवं लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की गयी। बैठक में लिए गए निर्णयों का सार निम्नवत् रहा:-

वाणिज्य कर विभाग

समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

प्रस्तावित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	माह की राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति०	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति०	शासन द्वारा निर्धारित माह तक लक्ष्य का प्रति०
561.10	576.57	102.76	6733.51	5253.75	4628.76	68.74	88.10	102.76

दिनांक 31.01.2017 तक मु० 4628.76 लाख राजस्व प्राप्ति की गई है तथा माह में भी 576.57 लाख की प्राप्ति की गयी है, जो 102.76 प्रतिशत है। उपायुक्त वाणिज्य कर द्वारा अवगत कराया गया कि कई कार्यदायी सस्थाओ/कम्पनियों द्वारा जनपद के बाहर

रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसी कारण राजस्व में कमी आयी है। इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि:-

1. समस्त खण्डों के अधिकारी एवं सचल दल के अधिकारी कर-करेत्तर समीक्षा बैठक में अनिवार्यरूप से प्रतिमाह प्रतिभाग करेंगे, इसके लिये कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा उपायुक्त, व्यापार कर कृपया उपस्थित सुनिश्चित करें।
2. इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा कर निर्धारण वाले 05 Assesment की प्रति अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), एटा के कार्यालय में उपलब्ध करायें।
3. जिन भट्टों द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया है उनकी सूची उपलब्ध करायें ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।
4. निर्माण कार्यों की सूची जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर व्यापार कर के अर्न्तगत टी0डी0एस0 की कटौती की गई है अथवा नहीं के संबंध में एक सप्ताह के अंदर अवगत करायें।

(कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर/नोडलअधिकारी/असि0कमि0,सचलदल,एटा)

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

ए0आई0जी0, स्टाम्प द्वारा उपलब्ध कराये गये मासिक विवरण के अनुसार राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

प्रस्तावित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	माह की राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	शासन द्वारा निर्धारित माह तक लक्ष्य का प्रति0
627.00	299.30	47.73	7580.00	6261.00	6018.84	79.40	82.60	47.73

विवरण पत्र के अनुसार दिनांक: 31.01.2017 तक मु0 6018.84 लाख की राजस्व प्राप्ति की गई है। कम राजस्व प्राप्ति का कारण कम बैनामा होना बताया गया। निर्देशित किया जाता है कि :-

1. समस्त तहसीलों के उप जिलाधिकारी, प्रेषित किये गये बैनामाओं की जाँच कर आख्या तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
2. आगामी माह की बैठक में जनपद के समस्त उप निबन्धक प्रतिभाग करेंगे।
3. सर्किल रेट शहरी क्षेत्र के आवासीय दर मु0 3000.00 वर्ग मी0 से कम तो नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि क्षेत्र प्रति हे0 2000000.00 से कम तो नहीं है। कम सर्किल रेट की सूची ए0आई0जी0 स्टाम्प 02 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। 5,000.00 मूल्य के रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों की सूची 03 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।
4. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों का निरीक्षण एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायें। टास्क फोर्स के ऐजेन्डा के अनुसार विवरण पत्र बनाये जाय।
5. माह दिसम्बर, 2016 व जनवरी, 2017 में जिले में हुये सबसे बड़े 05 विलेखों की सूची एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की 143 या रेवेन्यू कोड की धारा 80 के अर्न्तगत चल रहे सभी वादों सूची जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें।

7. विनियमित क्षेत्र के अवर अभियन्ता से सभी कोलो नाईजर की सूची प्राप्त की जाये एवं उनके द्वारा 100 रू0 का स्टाम्प अदा किया जा रहा है अथवा नहीं, का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
8. जनपद की सभी नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों से दुकानों के आबंटनों में अनुबन्धों का सत्यापन किया जाय कि स्टाम्प निर्धारित दर पर लगा है या नहीं। भूमि हस्तान्तरण में निर्धारित स्टाम्प अदा किया जा रहा है अथवा एग्रीमेन्ट सेल किया जा रहा है, के संबंध में स्पष्ट आख्या दें ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
9. ए0आई0जी0 स्टाम्प, उप निबन्धक आम जन मानस को ई-स्टाम्प के माध्यम से विलेख पंजीकृत कराने हेतु प्रेरित करें।
निर्देश दिये गये कि वार्षिक/क्रमिक लक्ष्य प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिये जायें।
(कार्यवाही-सहा0महा0,निबन्धन,/समस्त उप निबन्धक,समस्त उप जिलाधिकारी)

आबकारी विभाग

समीक्षा के दौरान आबकारी विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् है:-

प्रस्तावित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	शासन द्वारा निर्धारित माहतक लक्ष्य का प्रति0
1040.00	1098.00	105.58	13562.00	6662.00	9175.02	68.18	69.70	105.58

दिनांक 31.01.2017 तक कुल मु0 9175.02 लाख की प्राप्ति की गयी जो 69.70 प्रतिशत है। समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रवर्तन कार्य के अर्न्तगत मात्र 06 व्यक्तियों को जेल भेजा गया, जो काफी कम है। प्रवर्तन में कुछ दुकानों पर अनियमितता पायी गयी चैकिंग का अभियान जारी है बताया गया निर्देश दिये गये कि:-

1. आगामी बैठक में जनपद के सभी आबकारी निरीक्षक भी प्रतिभाग करेंगे।
2. प्रति माह पांच दुकानों की चैकिंग सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सी.एल.-2 एवं एफ.एल.-2 का निरीक्षण करें।
4. वर्तमान में 03 दुकानें रिक्त हैं जिनका आवंटन तत्काल किया जाय। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करें तथा जाँच करें कि जनपद की दुकानों पर होलोग्राम युक्त शराब की बिक्री हो रही है या नहीं ओवर रेट तो अंकित नहीं किये गये।
5. साथ ही गैर प्रान्त की शराब की बिक्री तो नहीं की जा रही है।
6. पूरे जनपद में सड़क के किनारे पर संचालित ढाबों पर छापेमारी की कार्यवाही करें जिसमें यह जाँच कि जाय कि अवैध शराब तो नहीं बिक रही है।
7. वार्षिक/क्रमिक लक्ष्य प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिये जाय।

(कार्यवाही- जिला आबकारी अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त आबकारी निरीक्षक)

परिवहन विभाग

प्रस्तावित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	शासन द्वारा निर्धारित माहतक लक्ष्य का प्रति0
278.34	239.16	85.97	2712.88	2235.67	2020.22	74.47	85.97	47.41

समीक्षा के दौरान परिवहन विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

प्राप्त विवरण के अनुसार दिनांक 31.01.2017 तक मु0 239.16 लाख राजस्व प्राप्ति की गयी, जो 85.97 प्रतिशत है।

1. आगामी माह फरवरी, 2017 हेतु कार्य योजना तीन दिन में तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।
2. ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन) एवं ए0आर0एम0संयुक्त रूप से पुलिस के सहयोग से डग्गामार बसों की सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध संचालन रोकें तथा अवैध संचालन होने वाले वसो को सीज कर वाहन स्वामी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करें।
3. मासिक/कमिक लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाये अन्यथा इसे गम्भीरता से लेते हुये कार्यवाही की जायेगी।
4. दो पहिया व चार पहिया वाहनों की बिक्री की स्थिति की सूची उपलब्ध करायी जाय।
(कार्यवाही-ए0आर0टी0ओ0, प्रशा0/समस्त उप जिलाधिकारी)

मनोरंजन कर विभाग

समीक्षा के दौरान मनोरंजन कर विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

प्रस्ता0 मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति का प्रति0	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	शासन द्वारा निर्धारित माह तक लक्ष्य का प्रति0
4.59	5.00	109.00	51.00	41.82	41.18	80.74	109.00	82.00

दिनांक 31.01.2017 तक मु0 41.18 लाख की कमिक राजस्व प्राप्ति की गई है, जो माह में 109.00 प्रति त प्राप्त करने पर धन्यवाद दिया गया। माह तक 98.56 प्रतिशत उपलब्धि पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केविल कनेक्शन/सिनेमा से राजस्व प्राप्त हुआ है। निर्देश दिये गये कि -

1. आगामी माह हेतु कार्य योजना तीन दिन में तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।
2. मासिक/कमिक/वार्षिक लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-सहा0मनोरंजन कर आयुक्त/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट)

अलौह खनन

समीक्षा के दौरान अलौह खनन मद में राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

प्रस्तावित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति का प्रति0	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति0	शासन द्वारा निर्धारित माह तक लक्ष्यका प्रति0
35.00	48.96	139.88	350.00	280.00	223.56	63.87	79.84	80.00

दिनांक 31.01.2017 तक 223.56 लाख राजस्व प्राप्ति हुयी है। मासिक/कमिक/वार्षिक उपलब्धि के सम्बंध में निम्न निर्देश दिये गये कि-

1. मासिक/कमिक/वार्षिक लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय।
2. डी0एस0टी0ओ0 से सभी ठेकेदारों की लिस्ट प्रस्तुत की जाये एवं ठेकेदार पंजीकृत हैं या नहीं इस संबंध में आख्या उपलब्ध करायी जाये।
3. खनिज लिपिक द्वारा बताया गया कि 110 भट्टे संचालित हैं जबकि वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा बताया गया 112 भट्टे संचालित हैं। सही स्थिति प्रस्तुत की जाय।

4. सभी कार्यदायी संस्थाओं से सूची प्राप्त की जाय।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत एटा से जनपद में संचालित सभी भट्टों की सूची प्राप्त की जाय तथा जनपद में समस्त लेखपालों से यह प्रमाण पत्र लिया जाय कि उनके हलका में कितने भट्टे संचालित हैं कोई अपंजीकृत भट्टा तो जनपद में संचालित नहीं है। यदि ऐसा कोई भट्टा संचालित पाया जाय तो सम्बंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उप जिलाधिकारीगण/खनिज निरीक्षक)

नजूल

समीक्षा के दौरान नजूल मद में राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

प्रस्ता वित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति का प्रति०	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति०	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति०	शासन द्वारा निर्धारित माह तक लक्ष्यका प्रति०
0.33	00	00	4.00	3.30	-	102.50	4.10	82.50

दिनांक 31.01.2017 तक 4.10 लाख राजस्व प्राप्त किया गया है। निर्देश दिये गये कि-

1. निर्धारित मासिक/क्रमिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नजूल सहायक लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण तत्काल करायें।
2. तहसीलवार पंजिका तैयार की जानी है, जिसमें नजूल की कुल कितनी भूमि है। पुरानी आबादी खाली है या नहीं, अंकित की जाय।

(कार्यवाही-नजूल सहायक,कलै०-एटा)

वानिकी एवं वन्य जीव विभाग

वन विभाग की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत् दर्शायी गयी:-

प्रस्तावित मासिक लक्ष्य	माह की राजस्व प्राप्ति	प्राप्ति का प्रति०	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक लक्ष्य	माह तक कुल प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति०	क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रति०	शासन द्वारा निर्धारित माह तक लक्ष्यका प्रति०
8.25	4.95	60.00	113.00	102.35	20.03	17.73	17.73	90.57

विवरण के अनुसार दिनांक 31.01.2017 तक कुल मु० 20.03 लाख की राजस्व प्राप्ति की गई है। निर्देश दिये गये कि:-

1. आगामी माह हेतु कार्य योजना तीन दिन में तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।
2. मासिक/क्रमिक/वार्षिक लक्ष्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-डी०एफ०ओ०,एटा)

विद्युत विभाग

विद्युत विभाग की बैठक पृथक से की जायेगी तथा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-समस्त उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियंता/सम्बन्धित थानाध्यक्ष/अधि० अभियन्ता)

मण्डी समितियों

मण्डी समिति, एटा द्वारा मासिक 85.77 प्रतिशत एवं क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष 90.43 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी है। मण्डी समिति-अलीगंज द्वारा मासिक 76.27 प्रतिशत एवं क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष 80.94 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गयी है। इस पर आपत्ति की गयी निर्देश दिये गये कि सचिव अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मण्डी समिति, अवागढ द्वारा मासिक 85.58 प्रतिशत एवं क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष 85.63 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की गयी है। समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि-

1. आगामी माह हेतु कार्य योजना तीन दिन में तैयार कर प्रस्तुत की जाय।
2. समस्त उपजिलाधिकारी मण्डियों में रैण्डिम चैकिंग करेगे जिसमें कम्प्यूटरीकृत कॉटा, घट तौली, आदि पर अपना सर्वेक्षण रखेगे साथ ही यह भी देखेगे कि 6 आर सही कट रहा है। इसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेगे।
3. निर्देश दिये गये कि निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक दशा में प्राप्त करें, साथ ही प्रवर्तन भी बढ़ायें।

(कार्यवाही-सचिव, मण्डी समिति एटा, अलीगंज, अवागढ)

तहसील एटा

तहसील द्वारा दिनांक 31.01.2017 तक कुल 211989249.00 की बसूली की गयी है जो 79.62 प्रतिशत है। निर्देश दिये गये कि-

1. मासान्त फरवरी, 2017 का 3.00 करोड़ वसूली का लक्ष्य आवंटित किया गया।
2. जो संग्रह अमीन मानक पूर्ण नहीं करते है उप जिलाधिकारी उनके विरुद्ध सेवा समाप्ति/विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य राजस्व लेखाकार को अवगत करायेगे।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक में नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहेंगे यदि भविष्य में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।
4. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार अपनी-2 तहसीलों के नायब तहसीलदारों एवं संग्रह अमीनों को पृथक-2 लक्ष्य आवंटित कर सूचना मु0रा0ले0कार्यालय में उपलब्ध करायेगे।
5. संग्रह अमीनों पर लम्बित विभिन्न देयों के प्रकरणों की सूची एवं दाखिला का प्रोग्राम समीक्षा हेतु मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करें।
6. संग्रह अनुभाग मे दो टेलीफोन तत्काल स्थापित किये जाय। राजस्व लेखाकार सम्बंधित स0वा0वा0नवीस के साथ प्रत्येक दिन प्रातः 7 वजे कार्यालय मे आकर संग्रह अमीन से क्षेत्र मे उपस्थित व वसूली की स्थिति प्राप्त कर अवगत करायेगे।

तहसील अलीगंज

तहसील द्वारा दिनांक 31.01.2017 तक कुल 90494743.00 की बसूली की गयी है जो 82.07 प्रतिशत है। निर्देश दिये गये कि-


1. मासान्त फरवरी, 2017 का 2.00 करोड़ वसूली का लक्ष्य आवंटित किया गया।
2. जो संग्रह अमीन मानक पूर्ण नहीं करते है उप जिलाधिकारी उनके विरुद्ध सेवा समाप्ति/विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य राजस्व लेखाकार को अवगत करायेगे।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक में नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहेगे यदि भविष्य में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।
4. अपर जिलाधिकारी(वि0रा0) अपनी अध्यक्षता में वसूली की समीक्षा तहसीलवार करेंगे।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार अपनी-2 तहसीलों के नायब तहसीलदारों एवं संग्रह अमीनों को पृथक-2 लक्ष्य आवंटित कर सूचना मु0रा0ले0कार्यालय में उपलब्ध करायेगे।
6. तहसीलदार 10-10 संग्रह अमीनों की प्रकरणवार समीक्षा कर आख्या उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे।
7. संग्रह अमीनों पर लम्बित विभिन्न देयों के प्रकरणों की सूची एवं दाखिला का प्रोग्राम समीक्षा हेतु मु0रा0लेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करें।

8. संग्रह अनुभाग मे दो टेलीफोन तत्काल स्थापित किये जाय। राजस्व लेखाकार सम्बंधित स0वा0वा0नवीस के साथ प्रत्येक दिन प्रातः 7 वजे कार्यालय मे आकर संग्रह अमीन से क्षेत्र मे उपस्थित व वसूली की स्थिति प्राप्त कर अवगत करायेगें।

तहसील जलेसर

तहसील द्वारा दिनांक 31.01.2017 तक कुल 81455582.00 की बसूली की गयी है। जो 84.13 प्रतिशत है। निर्देश दिये गये कि—

1. मासान्त फरवरी-17 का 2.00 करोड़ वसूली का लक्ष्य आवंटित किया गया।
2. जो संग्रह अमीन मानक पूर्ण नहीं करते है उप जिलाधिकारी उनके विरुद्ध सेवा समाप्ति/ विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा मुख्य राजस्व लेखाकार को अवगत करायेगे।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक में नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहेंगे यदि भविष्य में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) अपनी अध्यक्षता में वसूली की समीक्षा तहसीलवार करेंगे।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार अपनी-2 तहसीलों के नायब तहसीलदारों एवं संग्रह अमीनों को प्रथक-2 लक्ष्य आवंटित कर सूचना मु0रा0ले0कार्यालय में उपलब्ध करायेगे।
6. तहसीलदार 10-10 संग्रह अमीनों की प्रकरणवार समीक्षा कर आख्या उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
7. संग्रह अमीनों पर लम्बित विभिन्न देयों के प्रकरणों की सूची एवं दाखिला का प्रोग्राम समीक्षा हेतु मु0रा0लेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. संग्रह अनुभाग मे दो टेलीफोन तत्काल स्थापित किये जाय। राजस्व लेखाकार सम्बंधित स0वा0वा0नवीस के साथ प्रत्येक दिन प्रातः 7 वजे कार्यालय मे आकर संग्रह अमीन से क्षेत्र मे उपस्थित व वसूली की स्थिति प्राप्त कर अवगत करायेगें।


(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी, एटा

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

- संख्या / सी0आर0ए0-(बसूली समीक्षा), दिनांक: / / 2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
1. सचिव, उ0प्र0शासन, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊ।
 2. अपर निदेशक (प्रशा0), राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ0प्र0सचिवालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री-भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
 3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र संख्या 3064/2-संग्रह-16स/2013, दिनांक 01.10.13 के कम सूचनार्थ प्रेषित।
 4. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन विभाग, टिहरी कोठी, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 3629 रो/14-कर-करेत्तर/14, दिनांक 13.11.2014 के क्रम में प्रेषित।
 5. आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 6. सभी सम्बन्धित अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इस निर्देश के साथ कि आगामी माह में विवरण पत्र समय से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी, एटा